□Crackdown Against Criminals

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली
प्रेस नोट दिनांक- 14.08.2026

□थाना धीना पुलिस टीम द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व लैंगिक अपराध के अभियोग में वांछित व 50,000/- रुपये का इनामियां 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

□वर्ष 2018 से फरार अभियुक्त के कब्जें से 01 अवैध असलहा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धीना दिलीप श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में थाना धीना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व लैंगिक अपराध कारित करने करने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धीना पर मु.अ.सं. 04/2018 धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. एवं 3/4 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त के लगातार फरार रहने व माननीय न्यायालय के आदेशिका (धारा 82 CrPC) की अवहेलना करने पर थाना धीना पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 174-A भा.द.वि. के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया से सम्बधित अभियोग में वांछित व 50,000/- का इनामियां अभियुक्त दिनांक 13.08.2026 को थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर महुजी तिराहा, जमानिया बार्डर से 300 मीटर पहले चेकिंग के दौरान कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया पुलिस टीम को देखकर पीछे मुडकर तेजी से भागना का प्रयास किया जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दीकर पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्ति की पहचान अरबाज नट उर्फ खबरी पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जमालुद्दीन निवासी ग्राम कुशहां थाना धीना जनपद चन्दौली उम्र करीब 28 वर्ष के रुप में हुई। पकडे गये व्यक्ति के कब्जें से अवैध असलहा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/2026 धारा 3/25 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि पुलिस टीम को देखकर भाग रहा था क्योकि मेरे खिलाफ वर्ष 2018 में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने में मुकदमा लिखा था तभी से मै छिप कर रह रहा था पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। अवैध असलहा के सम्बन्ध में बताया गया कि अपनी सुरक्षा के लिए बिहार से लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अरबाज नट उर्फ खबरी पुत्र जलालुद्दीन नट निवासी ग्राम कुशहाँ, थाना धीना, जनपद चन्दौली।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 73/2026 धारा 3/25 बीएनएस थाना धीना जनपद चन्दौली।

आपराधिक इतिहास-
मु.अ.सं. 04/2018 धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. एवं धारा 3/4 पॉक्सो (POCSO) एक्ट, थाना धीना, जनपद चन्दौली।
मु.अ.सं. 0079/2018 धारा 174-A भा.द.वि., थाना धीना, जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
निरी0 दिलीप श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक धीना
उ0नि0 पतई राम
उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा
का0 अमित मिश्रा
का0 अमित दुबे

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली
प्रेस नोट दिनांक: 14.08.2026

□थाना अलीनगर व आरपीएफ पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में अलग-अलग स्थान से अवैध अंग्रेजी शराब कुल 46.68 लीटर बरामद कर 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर गगनराज सिंह के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम एवं आरपीएफ द्वारा प्राप्त इनपुट के आधार पर-
1- दिनांक 13.08.2026 को लोको कालोनी हनुमान मंदिर के पास से चेकिंग के दौरान 03 संदिग्ध व्यक्ति जिनकी पहचान 1. अंजय कुमार पुत्र धरीक्षण पासवान निवासी चिरौरा थाना नौबतपुर जिला पटना(बिहार) उम्र 23 वर्ष, 2. शुभम कुमार पुत्र अरुन सिंह निवासी वार्ड नं0 11 पटनवा कला थाना इन्द्रपुरी जिला रोहतास(बिहार) उम्र 26 वर्ष व 3. चन्दन कुमार पुत्र बलिराम राम निवासी वार्ड नं0 36 श्रीटोला थाना नवादा जिला भोजपुर(बिहार) उम्र 38 वर्ष के रूप में हुई । जिनके कब्जें से 81- 8PM टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 10- रायल स्टेग अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 375 ML व 04 सिगनेचर अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 750 ML कुल मात्रा 21.33 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब किया गया बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 501/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- दिनांक 13.08.2026 को लोको कालोनी स्थित रेलवे ग्राउण्ड के पास से चेकिंग के दौरान 02 संदिग्ध व्यक्ति जिनकी पहचान 1. हर्षित सेहरावत पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी वार्ड नं0 07 कोलीवारा थाना सोहना जिला गुड़गाँव (हरियाणा) उम्र करीब 25 वर्ष 2. सुनिल मीणा पुत्र भरतलाल मीणा निवासी मुगेना थाना इटावा जिला कोटा(राजस्थान) उम्र करीब 24 वर्ष के रुप में हुई। जिसके कब्जें से 22 BACARDI अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 375 ML, 04 सिगनेचर अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 750 ML, 09 सिमरन आफ अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 750 ML, 20 सिमरन टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 06 ब्लैन्डर प्राईड अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 375 ML व 04 ICONIQ WHITE अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 375 ML सहित कुल मात्रा 25.35 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब किया गया बरामद। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 503/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग शराब को आस-पास के शराब ठेको से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीद कर इकट्ठा कर बिहार में शराब बन्दी के कारण ट्रेनो के माध्यम से बिहार में ले जाकर ऊँचे दामों पर बेचते है, जिससे हमे अच्छा मुनाफा होता है तथा प्राप्त आय से अपना-अपना शौक पूरा करते है तथा आज भी हम लोग शराब लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे कि पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.हर्षित सेहरावत पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी वार्ड नं0 07 कोलीवारा थाना सोहना जिला गुड़गाँव (हरियाणा) उम्र करीब 25 वर्ष

2.सुनिल मीणा पुत्र भरतलाल मीणा निवासी मुगेना थाना इटावा जिला कोटा(राजस्थान) उम्र करीब 24 वर्ष

3.अंजय कुमार पुत्र धरीक्षण पासवान निवासी चिरौरा थाना नौबतपुर जिला पटना(बिहार) उम्र 23 वर्ष

4.शुभम कुमार पुत्र अरुन सिंह निवासी वार्ड नं0 11 पटनवा कला थाना इन्द्रपुरी जिला रोहतास(बिहार) उम्र 26 वर्ष

5.चन्दन कुमार पुत्र बलिराम राम निवासी वार्ड नं0 36 श्रीटोला थाना नवादा जिला भोजपुर(बिहार) उम्र 38 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1.मु0अ0सं0 501/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

2.मु0अ0सं0 503/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

1- 81- 8PM टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 10- रायल स्टेग अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 375 ML व 04 सिगनेचर अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 750 ML कुल मात्रा 21.33 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब।

2- 22 BACARDI अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 375 ML, 04 सिगनेचर अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 750 ML, 09 सिमरन आफ अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 750 ML, 20 सिमरन टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 06 ब्लैन्डर प्राईड अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 375 ML व 04 ICONIQ WHITE अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 375 ML सहित कुल मात्रा 25.35 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब।

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अनिल कुमार पासवान थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ0नि0 योगेन्द्र नाथ यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

हे0का0 इन्द्रजीत यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

रि0म0का0 संध्या चौरसियाँ थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

आरपीएफ टीम

स0उ0नि0 जितेंद्र नाथ राय RPF/DDU

का0 धर्मेंद्र कुमार CPDS/DDU

का0 इन्द्र कुमार CPDS/DDU